उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

14/संख्या-क0नि0-7-441/11-2015-500(07)/2001

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2015

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नजूल भूमि में पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए उक्त नजूल भूमि के पट्टेदार अथवा क्रेता के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि, जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गई प्रतिफल की धनराशि से जो उक्त नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते हैं।

परन्तु यह कि नजूल भूमि के पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के आदेश के दिनांक से एक वर्ष के भीतर निष्पादित लिखतों पर ही स्टाम्प शुल्क की उपरोक्त छूट उपलब्ध होगी। उपरिकथित अवधि के पश्चात लिखत पर उस लिखत में अंतर्विष्ट सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द "प्रतिफल" का तात्पर्य, ऐसे पूर्व स्वामित्व प्रभारों और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो, से है।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-क0नि0-7-441(1)/11-2015-500(07)/2001 दिनांक 30 मार्च, 2015</u>

प्रतिलिपि-हिन्दी तथा अंग्रेजी की अधिसूचना की प्रति संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 30 मार्च 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिष्टि भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दे और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद को तथा 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या-क0नि0-7-441(2)/11-2015-700(111)/13 दिनांक 30 मार्च, 2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करें।
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
6 समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8 समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश।
9 विधायी अनुभाग-1
10. सूचना निदेशक उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shahnadesh.upnic.in

Uttar Pradesh Shasan

Kar Evam Nibandhan Anubhag-7

The Governor is pleased to order the publication of the english translation of the Goverment notification No. K.N.-7-441 /11-2015-500(07)/2001

dated 30 March, 2015 for general information.

Notification

Order

No. K.N-7-441 /11-2015-500(07)/2001

Lucknow, Dated 30 March, 2015

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of General clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the *gazette* the stamp duty chargeable under clause (a) of Article 23 of schedule-1B of the said Act on the instrument executed by the person authorized by the government of Uttar Pradesh in favour of the lessee or purchaser of Nazul land for the purposes of converting lease hold rights into freehold rights in the said land to the extent of the stamp duty chargeable on the amount that exceeds the amount of the consideration as set forth in the instrument upto the market value of the said Nazul land.

Provided that the above exemption of stamp duty shall be available on the instrument executed within one year from the date of order of converting lease hold rights into freehold rights of Nazul land. After the above said period the instrument shall be chargeable on the market value of the property comprised in that instrument.

http://shasanadesh.up.nic.in

Explanation: for the purpose of this notification, the word "consideration" means the freehold charges and the interest thereon, if any, taken by the person authorized by the State Government of Uttar Pradesh for the purpose of converting leasehold rights into freehold rights.

By order

(Anil Kumar)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in